# कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
दूरभाष –0151–2226551 ई मेल– aayukt.ele@gmail.com

क्रमांक: शिविरा / प्रारं / निष्ठा प्रशिक्षण / 19565 / 2020 / 2873 दिनांक:– 30/9/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त।

विषय: जिला एवं ब्लॉक के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के संस्थाप्रधानों तथा शिक्षकों हेतु निष्ठा 3.0 (FLN) प्रशिक्षण के क्रम में।

प्रसंग: राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त महोदय के पत्रांक: रास्कूशिप / जय / प्रशिक्षण / 2021–22 / 3770 दिनांक: 21.09.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन राष्ट्रीय नीति 2020 में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन को प्रमुखता दी गई है। विद्यार्थी के समग्र विकास पर केन्द्रित निष्ठा 3.0 का प्रशिक्षण 01 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आपके जिले एवं ब्लॉक के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के समस्त संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण हेतु पाबन्द करावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 (FLN) की क्रियान्विति के मुख्य बिन्दु:–

1. प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाईन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। सभी संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों को दीक्षा एप की जानकारी दी जावे।
2. प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही है। दीक्षा पोर्टल पर भाषा के मॉड्यूल निर्धारित समय से पूर्व अपलोड किए जावें।
3. प्रशिक्षण हेतु एक ही माध्यम का चयन करना है। प्रतिमाह 02 मॉड्यूल पूर्ण कर 31 मार्च, 2022 तक समस्त 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक मॉड्यूल की समाप्ति पर सहभागिता प्रमाण–पत्र वर्चुअली जारी होगा।
4. प्रशिक्षण पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण समय–सारणी संलग्न है। (परिशिष्ठ–'अ' निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दिशा–निर्देश 2021–22)
5. जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों द्वारा दिशा–निर्देश में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जावे।
6. दीक्षा पोर्टल पर समय–सारणी अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में पृथक–पृथक नामांकन प्रविष्टि प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 25 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।

7. समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों (पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर) को निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।
8. सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड–19 हेतु जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्यतः की जावे।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

(शिवप्रसाद)
अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19522/2020/2873 दिनांकः 30/9/2021

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजि सहायक निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, आर. एस. सी. ई. आर. टी. उदयपुर।
4. सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त को पत्र देकर लेख है कि शत–प्रतिशत पालना करावें।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त, प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय में पूर्ण करावें।
6. जि.शि.अ.(मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त अपने अधीनस्थ सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों को निष्ठा प्रशिक्षण हेतु पाबन्द करावें।
7. प्रधानाचार्य, डाईट अपने जिले एवं ब्लॉक में पर्याप्त SRG एवं KRP की नियुक्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करें।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त अपने अधिनस्थ विद्यालयों (राजकीय एवं निजी) को पाबंद करें।
9. समस्त पी.ई.ई.ओ. अपने अधिनस्थ समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आदेशित करावें।
10. सिस्टम एनॉलिस्ट, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड कराने वास्ते।
11. कार्यालय रक्षित पत्रावली।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(शैक्षिक)
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

E-mail: rajasthan.nishtha@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / प्रशिक्षण / 2021–22 / 3537 दिनांक : 24/9/2021

## निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण
## दिशा–निर्देश 2021-22

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन को प्रमुखता प्रदान की गई है। इस हेतु निष्ठा प्रशिक्षण समग्र शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी के समग्र विकास को केन्द्रित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। तदानुसार निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूलका निर्माण किया गया है। निष्ठा के प्रशिक्षण मॉड्यूल विचार–चिंतन और परस्पर संवाद की सार्थक गतिविधियों जैसे शैक्षिक खेल, क्विज आदि के आधार पर बनाए गए हैं जिससे शिक्षक आनंददायी तरीकों से छात्र को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करके सीखाना सुनिश्चित करें।

निष्ठा 1.0 कार्यक्रम अन्तर्गत सत्र 2019–20 में प्रारम्भिक स्तर के संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों एवं संस्थाप्रधानों हेतु निष्ठा 2.0 का आरम्भ 01 अगस्त 2021 से दीक्षा प्लेटफार्म पर किया गया है। इसी क्रम में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों एवं संस्थाप्रधानों हेतु निष्ठा 3.0 (FLN) का आरम्भ 01 अक्टूबर 2021 से किया जाना है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

निष्ठा 3.0 का लक्ष्य मुख्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित Foundational Literacy and Numeracy (FLN) के निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना है :

1. खेल, खोज और गतिविधि–आधारित शिक्षाशास्त्र को शामिल करते हुए बच्चों के दैनिक जीवन से संबद्ध करना।
2. बच्चों की स्थानीय भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण करना।
3. स्थायी पठन और लेखन कौशल की समझ के साथ बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र, व्यस्त पाठक और लेखक बनाना।
4. छात्र को संख्या, माप, आकार की समझ और तार्किक बनाने के लिए संख्यात्मकता और स्थानिक समझ के माध्यम से समस्या समाधान करने के लिए सक्षम बनाना।
5. छात्र की परिचित / स्थानीय / मातृभाषा (भाषाओं) में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता करवाकर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
6. शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संदर्भ व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों के सतत् क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना।
7. सभी हितधारकों जैसे – शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय, नीति निर्माताओं को आजीवन सीखने की सशक्त नीव निर्माण के लिए सक्रिय रूप से जुड़ना।
8. पोर्टफोलियो, समूह और सहयोगी कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतीकरण, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने का मूल्यांकन करना।
9. सभी छात्रों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग करना।

1. **प्रशिक्षण लक्ष्य :**

पीएबी 2021–22 में प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार संदर्भ व्यक्ति (केआरपी) तथा कक्षा 1–5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्थाप्रधानों को निम्नानुसार प्रशिक्षण कराया जाना है –

| S.N. | District | No. of KRPs | Targeted No. of Teachers |
|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | 46 | 4585 |
| 2 | ALWAR | 66 | 6617 |
| 3 | BANSWARA | 65 | 6506 |
| 4 | BARAN | 28 | 2841 |
| 5 | BARMER | 95 | 9468 |
| 6 | BHARATPUR | 41 | 4122 |
| 7 | BHILWARA | 61 | 6110 |
| 8 | BIKANER | 48 | 4770 |
| 9 | BUNDI | 25 | 2498 |
| 10 | CHITTAURGARH | 35 | 3513 |
| 11 | CHURU | 33 | 3316 |
| 12 | DAUSA | 30 | 3056 |
| 13 | DHAULPUR | 30 | 2987 |
| 14 | DUNGARPUR | 49 | 4810 |
| 15 | GANGANAGAR | 40 | 3924 |
| 16 | HANUMANGARH | 23 | 2325 |
| 17 | JAIPUR | 79 | 7810 |
| 18 | JAISALMER | 26 | 2608 |
| 19 | JALOR | 45 | 4506 |
| 20 | JHALAWAR | 38 | 3777 |
| 21 | JHUNJHUNU | 31 | 3083 |
| 22 | JODHPUR | 78 | 7804 |
| 23 | KARAULI | 30 | 2978 |
| 24 | KOTA | 25 | 2509 |
| 25 | NAGAUR | 69 | 6853 |
| 26 | PALI | 39 | 3937 |
| 27 | PRATAPGARH | 27 | 2715 |
| 28 | RAJSAMAND | 34 | 3431 |
| 29 | S. MADHOPUR | 24 | 2382 |
| 30 | SIKAR | 42 | 4228 |
| 31 | SIROHI | 22 | 2272 |
| 32 | TONK | 30 | 3049 |
| 33 | UDAIPUR | 83 | 8310 |
| **Grand Total** | | **1437** | **143700** |

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

## 2. प्रशिक्षण पूर्व तैयारी :

- प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। अतः प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निष्ठा (FLN) प्रशिक्षण प्रभारी एवं तकनीकी समन्वयक नियुक्त करें।
- आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा एनसीईआरटी, नई दिल्ली से प्राप्त हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के मॉड्यूल की समीक्षा की जाकर दीक्षा पोर्टल पर निर्धारित समय से पूर्व अपलोड किया जावें। मॉड्यूल को पोर्टल पर लाइव किए जाने से पहले पूर्व–परीक्षण (Pre-Testing) की जावें।
- परिषद, उदयपुर द्वारा जिलेवार केआरपी का चयन किया जाए तथा चयनित केआरपी को एनसीईआरटी, नई दिल्ली स्तर से प्राप्त निर्देशों अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करें।
- प्रत्येक केआरपी 80–120 शिक्षकों का वाट्स एप्प ग्रुप बनाकर समन्वय स्थापित करेंगे तथा आरएससीईआरटी, उदयपुर के निर्देशन में कार्य करेंगे।
- समस्त मॉड्यूल हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होंगे।
- शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक ही माध्यम का चयन करते हुए प्रतिमाह 02 मॉड्यूल पूर्ण किए जाकर 31 मार्च 2022 तक समस्त 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है।
- प्रत्येक मॉड्यूल लगभग 3–4 घण्टे में पूर्ण किया जा सकेगा।
- शिक्षक द्वारा शत प्रतिशत मॉड्यूल को पूर्ण करने के लिए मॉड्यूल में सम्मिलित समस्त गतिविधि, विडियों एवं पाठ्य सामग्री को एकाग्रता से पूर्ण करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक मॉड्यूल के अन्त में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। तीन प्रयासों में 70 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को सहभागिता प्रमाण–पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। तीन प्रयासों में मूल्यांकन में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं होने पर प्रमाण–पत्र जारी नहीं हो सकेगा, अतः मॉड्यूल पूर्ण नहीं माना जाएगा।
- कोर्स पूर्ण होने पर प्रमाण–पत्र जारी होने में 0–15 दिवस का समय लग सकता है।

Rajasthan Education Department

## 3. प्रशिक्षण समय सारणी :

प्रशिक्षण कार्यक्रम 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक निम्नानुसार चरणबद्ध रूप से संचालित रहेगा –

| | |
|---|---|
| Till September 30, 2021 | Registration of Teachers |
| October 1-31, 2021 | Module 1: Introduction to FLN Mission<br>Module 2: Shifting Towards Competency Based Education |
| November 1-30, 2021 | Module 3: Understanding Learner: How Children Learn?<br>Module 4: Understanding Vidya Pravesh and Balvatika |
| December 1-31, 2021 | Module 5: Foundation Language and Literacy<br>Module 6: Foundation Numeracy |
| January 1-31, 2022 | Module 7:Learning Assessment<br>Module 8: Involvement of Parents and Community for FLN |
| February 1-28, 2022 | Module 9: ICT in Teaching, Learning and Assessment<br>Module 10: Multilingual Teaching in Foundational Years |
| March 1-31, 2022 | Module 11: School Leadership Strengthening for FLN:Concepts & Application<br>Module 12: Toy Based Pedagogy |

4. प्रशिक्षण व्यय मानक :

- पीएबी 2021-22 में जिलेवार अनुमोदित, लक्षित शिक्षकों तथा केआरपी को राशि रू. 1000/- प्रति शिक्षक की दर से हाईस्पीड डाटा, पैनड्राईव क्रय हेतु राशि पुनर्भरण किए जाने के लिए जिलों को हस्तानान्तरित की जाएगी।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, एमएचआरडी की गाईडलाईन एवं लोकउपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में स्वीकृति अनुसार उपमद Foundational Literacy and Numeracy की गतिविधि Capacity building of Teachers of Grades I to V से किया जा सकेगा।
- जिला/ब्लॉक द्वारा लक्षित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दीक्षा पोर्टल/एप्प पर **login with state system** लिंक के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ आईडी द्वारा समस्त 12 पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर ही राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

5. जिला एवं ब्लॉक कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य :

- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने लक्षित शिक्षकों को चिन्हित किया जाए।
- चिन्हित शिक्षार्थी को दीक्षा पोर्टल/एप्प पर लॉगिन में उपलब्ध ऑपशन में से केवल login with state system लिंक के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके ही समस्त 12 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित करें अन्यथा शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रेक नहीं किया जा सकेगा जिससे जिले के लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी।
- **प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट** जिला, ब्लॉक तथा विद्यालय की **शाला दर्पण लॉगिन पर Work Progress Menu में Nishtha Training Report** में उपलब्ध करा दी जाएगी। अतः रिपोर्ट अनुसार जिला एवं ब्लॉक अधिकारी लक्षित शिक्षकों की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत प्रशिक्षण का लक्ष्य पूर्ण करें।
- प्रशिक्षण अन्तर्गत तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय तथा सीबीईओ कार्यालय में प्रशिक्षण अवधि में तकनीकी समन्वयक मय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे।
- प्रत्येक माह समाप्ति के 5 दिवस बाद जिला प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा निम्नांकित सूचना परिषद, जयपुर की ई-मेल आईडी rajasthan.nishtha@gmail.com तथा परिषद, उदयपुर की ई-मेल आईडी nishtha.rjt.ad2@gmail.com पर प्रेषित करनी होगी -
  - प्रत्येक कोर्स में नामांकित शिक्षकों की कुल संख्या एवं जिला स्तर पर कोर्सवार शिक्षकों की सख्या।
  - प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षकों की कुल संख्या - कोर्स अनुसार।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर एवं प्रबन्धन पोर्टल) में प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय को प्रत्येक उपमदवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध ही दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध उसी गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रविष्ट की जावें।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

6. शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य :

- दीक्षा पोर्टल/एप्प पर लॉगिन में उपलब्ध ऑपशन में से केवल login with state system लिंक के माध्यम से शाला दर्पण स्टाफ आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके समस्त 12 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण पूर्ण करें अन्यथा शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रेक नहीं किया जा सकेगा। अतः अनिवार्य रूप से login with state system के माध्यम से प्रशिक्षण करें।

- किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में दीक्षा पर ई-मेल/मोबाईल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो एप्प पर लॉगआउट कर login with state system से ही लॉगिन करें। साथ ही login with state system से लॉगिन करने के बाद पूर्व लॉगिन को उपलब्ध मर्ज ऑपशन की सहायता से ई-मेल/मोबाईल नं0 इंद्राज कर ओटीपी की सहायता से मर्ज करें।
- दीक्षा पोर्टल पर समय सारणी अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में पृथक-पृथक नामांकन प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 25 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें और निर्धारित अवधि में समस्त 12 मॉड्यूल पूर्ण करें।

**(नोट : सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड़-19 हेतु जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्यतः क़ी जाए)**

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(डॉ0 भँवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/2021-22/3937 दिनांक : 24/9/2021

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक– प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
10. पदेन पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
11. कार्यालय प्रति।

24/9/21
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम